न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 226/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एंबिट फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी विनोद कुमार शर्मा
पंजीकृत कार्यालय– ऑफिस नं. एस/8, 6th फ्लोर, बी–विंग, पिन्नाकल बिजनेस पार्क, महाकाली केव्स रोड़, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई–400093
शाखा कार्यालय– ऑफिस नं. 909, नवीं मंजिल, ओके प्लस टॉवर, अजमेर रोड़, कल्याण ज्वैलर्स के पास, गवर्मेंट हॉस्टल क्रोसिंग, जयपुर–302001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **संदीप धायल पुत्र गिरधारीलाल धायल,** निवासी–151, तृतीय मंजिल, ग्रीन पार्क मेट्रो गेट 2 के पास, गुर्जर डेयरी, नई दिल्ली–110049
   अन्य पता– खसरा नम्बर 2496/467 एवं पुराना खसरा नम्बर 467/3, ग्राम दादियारामपुरा, पटवार हल्का दादियारामपुरा, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332404
2. **प्रदीप कुमार धायल पुत्र गिरधारीलाल धायल,** निवासी–श्यामपुरा, चैनपुरा, दांतारामगढ़, जिला सीकर, राज.–332710
3. **मुन्नीदेवी पत्नि गिरधारीलाल,** निवासी–श्यामपुरा, चैनपुरा, दांतारामगढ़, जिला सीकर, राज.–332710

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 08 दिसम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **संदीप धायल पुत्र गिरधारीलाल धायल, प्रदीप कुमार धायल पुत्र गिरधारीलाल धायल** एवं **मुन्नीदेवी पत्नि गिरधारीलाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की अचल सम्पति

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

खसरा नम्बर 2496/467 एवं पुराना खसरा नम्बर 467/3, ग्राम दादियारामपुरा, पटवार हल्का दादियारामपुरा, श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, राज. में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सुभाष जाट की कृषि भूमि, पश्चिम दिशा में रींगस रोड़, उत्तर दिशा में सुभाष जाट की कृषि भूमि एवं दक्षिण दिशा में रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹26,79,956/– रूपये (अक्षरे रूपये छब्बीस लाख उन्यासी हजार नो सौ छप्पन)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **21.05.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.05.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **संदीप धायल पुत्र गिरधारीलाल धायल, प्रदीप कुमार धायल पुत्र गिरधारीलाल धायल** एवं **मुन्नीदेवी पत्नि गिरधारीलाल**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की अचल सम्पति **खसरा नम्बर 2496/467 एवं पुराना खसरा नम्बर 467/3, ग्राम दादियारामपुरा, पटवार हल्का दादियारामपुरा, श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में सुभाष जाट की कृषि भूमि, पश्चिम दिशा में रींगस रोड़, उत्तर दिशा में सुभाष जाट की कृषि भूमि एवं दक्षिण दिशा में रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी **दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **08 दिसम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)